अध्याय–5: करेतर प्राप्तियाँ

अनुभाग क: वानिकी तथा वन्य प्राणी (प्राप्तियाँ)

5.1 कर प्रशासन

वन विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव (अ.मु.स.) के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है जो शासन के स्तर पर विभाग के मुख्य नियंत्रण अधिकारी है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.स.) विभाग के प्रमुख होते है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक की देखरेख में अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य करते है। प्र.मु.व.स. को वृत्त स्तर पर मुख्य वन संरक्षक द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है और उन्हें वनमंडलाधिकारी द्वारा वनमंडल स्तर पर सहयोग प्रदान की जाती है। वन विभाग के संगठनात्मक संरचना को नीचे दिए गए ओरगेनोग्राम में दर्शाया गया है:

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई की स्थापना (2010) प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) के कार्यालय में की गई जो अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वित्त/बजट) के अधीन कार्य कर रही है। प्र.मु.व.स. के आदेशों के अनुसार, वित्त/बजट एवं अन्य इकाई के कर्मचारीगण अपने अधीनस्थ कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा दौरा कार्यक्रम के अनुसार करते है। वर्ष 2013–14 से 2017–18 की अवधि में योजित एवं सम्पन्न आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण **तालिका 5.1** में दिया गया है:

तालिका 5.1: योजित एवं सम्पन्न आंतरिक लेखापरीक्षा का विवरण

वर्ष	योजित लेखापरीक्षा	सम्पन्न लेखापरीक्षा	प्रतिशत में कमी	जारी नि.प्र.	जारी नि.प्र. का अनुपालन
2013–14	09	09	0	09	02
2014–15	17	17	0	17	08
2015–16	34	27	21	27	06
2016–17	18	14	22	14	03
2017–18	12	10	17	प्रक्रियाधीन	––

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015–18 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा में 17 से 22 प्रतिशत की कमी थी। आगे यह भी देखा गया कि उच्चतर प्राधिकारी को 53 से 79 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके

अलावा, विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की जाँच से पता चलता है कि इसमें मुख्य रूप से स्थापना और अनियमित व्यय से संबंधित मुद्दों को इंगित किया गया है।

विभाग ने उत्तर में कहा (जुन 2019) की विधानसभा सत्र, महत्वपूर्ण अधिकारिक कार्य एवं कर्मचारियों के चुनाव प्रशिक्षण के कारण वनमंडलों की आंतरिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार आयोजित नहीं की जा सकी। निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने के लिए पत्राचार किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि वनमंडलों का आंतरिक लेखापरीक्षा योजना के अनुसार पूरा नहीं किया जा सका और लेखापरीक्षा अप्रभावी रहा क्योंकि निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

5.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2017–18 में, वानिकी तथा वन्य प्राणी विभाग से संबंधित 67 इकाइयों में से 19[1] के अभिलेखों की जाँच लेखापरीक्षा में की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा अर्जित राजस्व ₹ 405.15 करोड़ था, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाइयों ने ₹ 256.12 करोड़ प्राप्त किए। वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा 63.22 प्रतिशत लेन–देन संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा ने 47 प्रकरणों में ₹ 16.17 करोड़ की अनियमितितायें पायी जो निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आती है जैसा कि **तालिका 5.2** में दिया गया है।

तालिका 5.2 : लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड में)

स. क्र.	श्रेणी	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	वन उपज की बिक्री अवरोध मुल्य से कम पर किये जाने के कारण राजस्व की कम प्राप्ति।	14	6.64
2.	वनोपज के क्षय/कमी होने के कारण राजस्व की अप्राप्ति।	15	2.04
3.	अन्य अनियमिततायें	18	7.49
योग		**47**	**16.17**

2017–18 की अवधि में, विभाग ने किसी भी प्रकरणों को स्वीकार नहीं किया और कोई वसूली नहीं की गई। लेखापरीक्षा द्वारा विभाग से अनुशीलन किया जा रहा है।

5.4 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

वर्ष 2012–13 से 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा 29 कंडिकाओं में ₹ 299.02 करोड़ के विभिन्न आक्षेप इंगित किए गये जिसमें से विभाग द्वारा राशि ₹ 84.62 करोड़ की टिप्पणियों को स्वीकार किया गया। हालाँकि, कोई वसूली नहीं हुई है।

लोक लेखा समिति द्वारा चर्चा हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2002–07 और 2009–14) के 26 कंडिकाओं का चयन किया गया और पाँच कंडिकाओं पर अनुशंसा (2002–07 और

---

[1] वनमंडलाधिकारी मरवाही, मनेन्द्रगढ, कोण्डागाँव, बैकुंठपुर, रायपुर, कोरबा, धरमजयगढ़, महासमुंद, दुर्ग, गरियाबंद, राजनांदगाँव, कांकेर, दंतेवाडा, रायगढ़, जगदलपुर, धमतरी, बिलासपुर, अम्बिकापुर और बलौदाबाजार

2010–11) प्रदान की गयी। जबकि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों 2004–05, 2005–06 और 2010–11 की केवल तीन कंडिकाओं पर कार्रवाई टीप प्राप्त हुई।

5.5 पारगमन शुल्क की कम वसूली

वन विभाग और खनिज साधन विभाग के बीच निकाले गए एवं परिवहन किए गए खनिज मात्रा के आँकड़ों का मिलान हेतु किसी भी निर्धारित प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण, पारगमन शुल्क की कम वसूली राशि ₹ 42.88 लाख।

भारतीय वन अधिनियम, 1927 में प्रावधान है कि खानों से प्राप्त वे सभी सामग्रियाँ चाहे वह वन भूमि से निकाली जाती हैं या वन क्षेत्र के माध्यम से परिवहन किया जाता है, इसे वन उत्पाद कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ पारगमन (वन उपज) नियम, 2001 के अनुसार वन भूमि से किसी भी प्रकार के वन उपज के परिवहन के लिए एक पारगमन पास अनिवार्य है जो निर्धारित पारगमन शुल्क[2] के भुगतान के बाद वन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पारगमन शुल्क लीज धारक द्वारा निकाली और परिवहन की जा रही वन उपज की मात्रा पर लगाया जाता है।

तीन वनमंडलों[3] के पारगमन पास से संबंधित दस्तावेजों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि वन भूमि को खनन के लिए विभिन्न एजेंसियों[4] को हस्तांतरित किया गया। इन वनमंडलो द्वारा संधारित वन क्षेत्र से वन उपज की मात्रा के परिवहन से संबंधित अभिलेखों का प्रति–सत्यापन खनिज साधन विभाग के साथ किए जाने पर पाया गया कि:

- वर्ष 2013–14 और 2017–18 के बीच की अवधि के दौरान धरमजयगढ़ और मनेंद्रगढ़ वनमंडलों में, विभाग द्वारा वन भूमि से निकाले गए 3.12 लाख मैट्रिक टन कोयले के परिवहन के लिए पारगमन शुल्क के रूप में ₹ 22.53[5] लाख आरोपण एवं संग्रहण किया गया। हालाँकि, खनिज साधन विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वन भूमि से 7.23 लाख मैट्रिक टन कोयला निकाला गया और परिवहन किया गया, जिस पर ₹ 56.99 लाख का पारगमन शुल्क आरोपित किया जाना था। हालांकि, विभाग ने ₹ 22.53 लाख आरोपित किया, परिणामस्वरूप ₹ 34.46 लाख का अवरोपण हुआ।

- आगे, कोरबा वनमंडल में लेखापरीक्षा द्वारा देखा गया कि उपयोगकर्ता एजेन्सी (एस.ई.सी.एल.) द्वारा 1.08 लाख मैट्रिक टन कोयला सात माह तक वर्ष 2013–14 एवं 2017–18 के दौरान पट्टा क्षेत्र से परिवहन किया गया जिसपर पारगमन शुल्क ₹ 8.42 लाख जमा नही किया गया।

इस प्रकार, निकाले गए और परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का वन विभाग और खनिज साधन विभाग के बीच आँकडों के मिलान के लिए निर्धारित प्रणाली के अभाव में राशि ₹ 42.88 लाख का कम राजस्व प्राप्त हुआ।

विभाग ने उत्तर दिया कि कोरबा के मामले में, पारगमन शुल्क की शेष राशि जमा करने के लिए उपयोगकर्ता ऐजन्सी को पत्र जारी किया गया है और मनेन्द्रगढ़ के मामले में, वन क्षेत्र से परिवहन किए गए खनिज की मात्रा का मिलान किया जायेगा और यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो राशि वसूल की जायेगी। इसके अलावा, वनमण्डल के

---

2 जून 2002 से राशि ₹ सात प्रति टन की दर से और 30 जून 2015 से संशोधित दर राशि ₹ 15 प्रति टन।

3 वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़, कोरबा और मनेन्द्रगढ़

4 एस.ई.सी.एल. हसदेव क्षेत्र, एस.ई.सी.एल. रायगढ़, एस.ई.सी.एल कोरबा।

5 जून 2015 तक ₹ सात प्रति टन पारगमन शुल्क और उसके बाद ₹ 15 प्रति टन।

अधिकार क्षेत्र के अन्दर खनन क्षेत्रों के निकास बिंदुओं पर चेक पोस्ट स्थापित करने के निर्देश जारी किए गए है।

तथ्य यह है कि खनन और वन विभाग के बीच आँकड़ों के मिलान के लिए कोई निर्धारित प्रणाली के अभाव में पारगमन शुल्क की कम वसूली हुई।

अनुसंशाः

वन विभाग का खनन विभाग के साथ सामंजस्य कर वन क्षेत्र से निकाले एवं परिवहन किए गए मात्रा के मिलान हेतु एक प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

5.6 वन उत्पाद और निरीक्षण शुल्क के मूल्य की अवसूली/अनारोपण

वनमण्डलाधिकारियों वन उपज का मूल्य वसूल करने में विफल रहे और अन्य विभाग/संगठन को आपूर्ति की गई वन उपज पर भी निरीक्षण शुल्क आरोपित नही किया जिसके कारण राशि ₹ 34.34 लाख की अवसूली/अनारोपण हुई।

छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार (जुलाई 2002) प्रत्येक जिले में सार्वजनिक कार्यों में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी.आई.पी.) के सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बैरिकेड्स में इस्तेमाल किए जाने वाले बाँस, बल्ली आदि की लागत का भुगतान राज्य लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा, वन वित्तीय नियमों के अनुसार, वन विभाग अन्य विभागों या गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को किए गए आपूर्ति की लागत के 10 प्रतिशत की दर से निरीक्षण शुल्क वसूल करेगा। साथ ही, अन्य विभागों से प्राप्त भुगतानों को विभागीय राजस्व के रूप में देखा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो[6] वनमण्डलों में, वनमण्डलाधिकारियों ने वर्ष 2013–18 के दौरान वी.आई.पी कार्यक्रमों/अन्य कार्यों के लिए विभिन्न विभागों को राशि ₹ 53.42 लाख मूल्य का 66,965 बाँस, 11,019 बल्ली, 6,523 बाडा लगाने वाली बल्ली एवं 540 जलाऊ चट्टे प्रदाय किये। इसमें से 31,592 बाँस, 1,102 बल्ली, 1,029 बाड़ा लगाने वाले बल्ली एवं 540 जलाऊ चट्टे न तो वापस किए गये और न ही इन सामग्रियों का मूल्य राशि ₹ 29.00 लाख विभिन्न विभागों से वसूल किया गया।

इसके अतिरिक्त, अन्य विभागों को प्रदाय किये गये वन उपज पर आरोपणीय 10 प्रतिशत निरीक्षण शुल्क ₹ 5.34 लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

परिणामस्वरूप, वन उपज का मूल्य राशि ₹ 29.00 लाख की अवसूली और राशि ₹ 5.34 लाख का निरीक्षण शुल्क का अनारोपण हुआ।

विभाग का उत्तर अपेक्षित (अगस्त 2019) है।

अनुभाग खः खनिज प्राप्तियाँ

5.7 कर प्रशासन

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 54 (सूची 1) एवं राज्य सूची की प्रविष्टि 23 (सूची 2) के अनुसार खनिज संसाधनों का प्रबंधन केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन दोनों का उत्तरदायित्व है। भारत सरकार (भा.स.) ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (एम.एम.डी.आर.), जनवरी 2015 में संशोधित, अधिनियमित किया जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अतिरिक्त खान एवं खनिजों के विनियमन हेतु कानूनी प्रावधान प्रावधानित करता है। एम.एम.डी.आर. अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा समय–समय पर

---

[6] गरियाबंद और कोरबा।

अनेक नियम बनाए गए हैं। केन्द्र शासन ने खनिज रियायत नियम (एम.सी.आर.), 1960 बनाया है। एम.एम.डी.आर., अधिनियम के अंतर्गत गौण खनिज के संबंध में खनि पट्टों के विनियमन एवं खनि पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य शासन को है। तदनुसार, राज्य शासन द्वारा 'छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम', 2015 बनाया गया है।

पूर्वेक्षण एवं खनन संक्रियाएं केवल नियमों के अंतर्गत प्रदत्त अनुज्ञप्ति या खनि पट्टे के द्वारा ही किया जा सकता है। खनि प्राप्तियों में मुख्यतः पट्टे/अनुज्ञप्ति/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन फीस, रॉयल्टी, उपकर, अनिवार्य भाटक[7], सतह कर, जुर्माने एवं दंड, देय राशि के विलंबित भुगतान पर ब्याज आदि शामिल है। खनि पट्टेदारों द्वारा पट्टा क्षेत्र से खनिज के प्रेषण के पूर्व रॉयल्टी देय है।

सचिव, खनिज साधन विभाग, शासन स्तर पर विभाग प्रमुख है तथा संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म (सं.भौ.ख) विभागीय स्तर पर विभाग प्रमुख है जो प्रशासन एवं खनि अधिनियम एवं नियमों को लागू करने हेतु जिम्मेदार है। संचालनालय के अंतर्गत तीन क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर, जगदलपुर एवं रायपुर में स्थित हैं जो संयुक्त संचालक (क्षेत्रीय प्रमुख) के अधीन हैं एवं जो राज्य में स्थित खनिजों के पूर्वेक्षण, सर्वे एवं नमूनीकरण हेतु जिम्मेदार है।

प्रत्येक जिले में जिला खनि कार्यालय स्थित हैं जो संबंधित जिला कलेक्टर के अधीन हैं। राज्य में 27 उप संचालक खनि प्रशासन (उ.सं.ख.प्र.)/जिला खनि अधिकारी (जि.ख.अ.)/सहायक खनि अधिकारी (स.ख.अ.) हैं जो जिला कलेक्टर की सहायता करते हैं। जिले में पदस्थ 49 खनि निरीक्षक उनके नियंत्रण के अंतर्गत राजस्व के आकलन एवं संग्रहण, खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन तथा अन्य गतिविधियाँ जिससे राजस्व की चोरी हो सकती है, को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा, खनिजों की चोरी एवं रॉयल्टी के अपवंचन रोकने के लिए एक उड़नदस्ता है जो संचालक को प्रतिवेदित करता है।

5.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

खनिज साधन विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.इ.) में संयुक्त संचालक (वित्त) एवं दो लेखापरीक्षक हैं।

वर्ष 2013–18 में संपादित आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तृत विवरण **तालिका 5.3** में वर्णित है:

तालिका 5.3: आंतरिक लेखापरीक्षा का विस्तृत विवरण

वर्ष	कार्यालयों की कुल संख्या	आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु स्वीकृत पद[8]	पदस्थ	लेखापरीक्षा हेतु योजित कार्यालयों की संख्या	लेखापरीक्षित कार्यालयों की संख्या	जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	संन्निहित राशि (₹)
2013–14	30	04	02	13	13	13	निरंक
2014–15	30	04	02	07	07	07	निरंक
2015–16	30	04	03	16	16	16	निरंक
2016–17	30	04	03	14	14	14	निरंक
2017–18	30	04	03	19	19	19	निरंक
योग				**69**	**69**	**69**	**निरंक**

(स्रोतः संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा प्रदाय की गयी जानकारी)

---

7 अनिवार्य भाटक प्रति वर्ष देय न्यूनतम रायल्टी है। जब देय रायल्टी जमा किये गये अनिवार्य भाटक से ज्यादा हो जाता है, तो पट्टेदार अनिवार्य भाटक की राशि के उपर की रकम के लिए रायल्टी देगा।

8 उप संचालक (वित्त एवं प्रशासन) सहित।

विभाग ने कहा (दिसंबर 2018) कि केवल सुझावात्मक टीप जारी किये गये हैं। यद्यपि आं.ले.इ. शाखा में स्टाफ की कमी थी, विभाग द्वारा वर्ष 2013–18 की अवधि में आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु योजित सभी कार्यालयों की लेखापरीक्षा संपादित की गयी एवं 69 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये गये।

लेखापरीक्षा का मत है कि विभाग केवल सुझावात्मक टीप जारी करने के बदले जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों पर अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करे।

5.9 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2017–18 में लेखापरीक्षा द्वारा खनिज साधन विभाग के 32 इकाईयों में से 11[9] इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। वर्ष 2016–17 के दौरान विभाग द्वारा खान एवं खनिज से राशि ₹ 4,141.47 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया गया। ग्यारह लेखापरीक्षित इकाईयों ने राशि ₹ 3,319.66 करोड़ का राजस्व संग्रहण किया। वर्ष 2017–18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा 80.15 प्रतिशत लेन–देन संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की गयी। लेखापरीक्षा ने कुल 1,356 प्रकरणों में से 958 प्रकरणों में राशि ₹ 1,070.45 करोड़ की अनियमिततायें पायीं। विभाग ने 121 प्रकरणों में राशि ₹ 46.62 करोड़ स्वीकार किया।

5.10 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

वर्ष 2012–17 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा ने 15 कंडिकाओं में राशि ₹ 278.62 करोड़ की विभिन्न आपत्तियों को इंगित किया, जिसके विरूद्ध विभाग ने राशि ₹ 51.39 करोड़ की आपत्तियां स्वीकार की तथा राशि ₹ 6.97 करोड़ की वसूली की।

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने आठ लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 10 कंडिकाओं का चयन किया जिसमें से वर्ष 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2006–07, 2009–10 एवं 2015–16 के छः लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की सात कंडिकाओं पर चर्चा की एवं वर्ष 2002–03, 2004–05, 2005–06, 2006–07 एवं 2009–10 के छः कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा दी। यद्यपि, वर्ष 2005–06 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक कंडिका पर कार्रवाई टीप प्राप्त नहीं हुई।

5.11 औसत वार्षिक रॉयल्टी की गलत गणना के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

उप संचालक, रायपुर द्वारा उत्पादन अवधि के औसत उत्पादन, जैसा कि खनन योजना में दर्शाया गया है, को लेने के बजाय संपूर्ण लीज अवधि को ध्यान में लिया गया जिसके कारण औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना गलत हुई, परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.76 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार जहाँ पट्टा अवधि 20 वर्ष एवं 30 वर्ष के मध्य है, औसत वार्षिक रॉयल्टी के पाँच गुणे के बराबर बाजार मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (मार्च 1993) के अनुसार, जैसा कि छत्तीसगढ़ में लागू है, उत्तखनी पट्टों के लिए मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के संबंध में लीजधारक के आवेदन पत्र में उल्लेखित अनुमानित मात्रा अथवा

---

[9] जि.ख.अः बलरामपुर, कांकेर, दन्तेवाड़ा, राजनांदगाँव, कबीरधाम एवं जांजगीर–चांपा, उ.सं.ख.प्र.: कोरबा, बलौदाबाजार, रायगढ़, बिलासपुर एवं रायपुर

उत्तखनी पट्टा क्षेत्र पर देय अनिवार्य भाटक, जो भी अधिक हो, पर गणना की जानी है।

उप संचालक (खनि प्रशासन), रायपुर के 13 उत्खनि पट्टों की नमूना जांच (फरवरी 2018) में लेखापरीक्षा ने पाया कि 12 प्रकरणों में औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना हेतु उपरोक्त नियमों का पालन किया गया परंतु चूनापत्थर के एक उत्खनि पट्टे के प्रकरण में उक्त नियम से विचलन पाया गया तथा विचलन हेतु कोई कारण उल्लेखित नहीं था।

एक चूनापत्थर उत्खनि पट्टा का अनुबंध 30 वर्ष हेतु मे. बी.आर.के. डेवलपर्स एवं माइनर्स प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में निष्पादित किया गया (अगस्त 2016)। औसत वार्षिक रॉयल्टी (औ.वा.रा.) की गणना खनन योजना में दर्शित 10 वर्ष हेतु औसत संभावित उत्पादन तथा शेष 20 वर्ष के लिए अनिवार्य भाटक के आधार पर किया गया। तदनुसार औसत वार्षिक रॉयल्टी की राशि ₹ 0.88 करोड़[10] पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस क्रमशः राशि ₹ 0.23 करोड़ तथा ₹ 0.17 करोड़ आरोपित एवं वसूल की गयी। यदि उप संचालक (खनि प्रशा.) द्वारा पट्टेदार द्वारा जमा माईनिंग प्लान के आधार पर औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना की गयी होती तो औसत वार्षिक रॉयल्टी राशि ₹ 2.64 करोड़[11] पर मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस क्रमशः राशि ₹ 0.66 करोड़[12] तथा ₹ 0.50 करोड़[13] आरोपित होती। इस प्रकार, औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना हेतु 20 वर्ष के लिए अनिवार्य भाटक की राशि लिए जाने से न केवल पट्टेदार को अनुचित लाभ दिया गया बल्कि इसके कारण मुद्रांक शुल्क तथा पंजीयन फीस क्रमशः राशि ₹ 0.43 करोड़ तथा ₹ 0.33 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर (फरवरी 2018) उप संचालक (खनि प्रशा.), रायपुर ने उत्तर दिया कि जिला पंजीयक से सलाह मांगी गयी है।

तथ्य उनके टिप्पणियों के लिए शासन/विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2019)। उत्तर अप्राप्त है (अगस्त 2019)।

5.12 एल्युमिनियम का गलत मूल्य लिए जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण

जिला खनि अधिकारी, कवर्धा ने औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना हेतु पट्टे के अनुबंध के समय एल्युमिनियम के मूल्य को लेने के बदले आवेदन के समय लागू मूल्य को गणना में लिया जिसके कारण औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना गलत हुई जिसके परिणामस्वरूप राशि ₹ 0.99 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण हुआ।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अनुसार जहाँ पट्टा अवधि 20 वर्ष एवं 30 वर्ष के मध्य है, औसत वार्षिक रॉयल्टी के पाँच गुणे के बराबर बाजार मूल्य पर पाँच प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (मार्च 1993) के अनुसार, जैसे छत्तीसगढ़ में लागू है, पट्टे के नवीनीकरण के लिए मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का निर्धारण आवेदन पत्र में दर्शित खनिज की उत्पादित की जाने वाली मात्रा पर

---

10 रॉयल्टी: 33,01,426 एम.टी. x 80 प्रति एम.टी. (चूनापत्थर हेतु रॉयल्टी की दर) = ₹ 26,41,14,080;
अनिवार्य भाटक: ₹ 7,500 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष x 7.870 हे. x 20 वर्ष = ₹ 11,80,500
औसत: (₹ 26,41,14,080 + ₹ 11,80,500)/30 = ₹ 88,43,153

11 ₹ 26,41,14,080/10

12 ₹ 13,20,57,040 (₹ 2,64,11,408 x 5) का 5 प्रतिशत

13 ₹ 66.03 लाख का 75 प्रतिशत

औसत वार्षिक रॉयल्टी, विगत तीन वर्षों में उत्पादित मात्रा एवं खनन योजना में दिए गए अनुमानित उत्पादन की मात्रा, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जानी है। बॉक्साइट पर रॉयल्टी की दर, पट्टे के अनुबंध के समय लागू विक्रय मूल्य[14] का 0.60 प्रतिशत है।

जिला खनि अधिकारी (जि.ख.अ.) कवर्धा के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2018) के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि 626.117 हेक्टेयर क्षेत्र में एक बॉक्साइट खनि पट्टा 27 मार्च 1997 से 26 मार्च 2017 तक की अवधि हेतु 20 वर्ष के लिए भारत एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) के पक्ष में स्वीकृत किया गया। पट्टेदार ने खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8 क (5) के प्रावधान के अनुसार खनि पट्टे के 30 वर्ष अवधि विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें वार्षिक उत्पादन 12.50 मीट्रिक टन का उल्लेख किया। अभिलेखों की जांच में पाया गया कि जि.ख.अ. ने माह अक्टूबर 2016 के लंदन मेटल एक्सचेंज (एल.एम.ई.) के एल्युमीनियम के मूल्य के आधार पर औसत वार्षिक रॉयल्टी[15] की राशि ₹ 19.46 करोड़ की गणना की। तदनुसार, पट्टेदार ने मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस राशि क्रमशः ₹ 5.11 करोड़ एवं ₹ 3.65 करोड़ जमा कर 30 वर्ष के लिए पूरक पट्टा अनुबंध निष्पादित किया (मार्च 2017)। चूंकि पट्टे का अनुबंध मार्च 2017 में निष्पादित किया गया था, जि.ख.अ. को एल्युमीनियम के मार्च 2017 के एल.एम.ई. मूल्य को लेते हुए औसत वार्षिक रॉयल्टी की गणना की जानी थी। अतः विक्रय मूल्य राशि ₹ 28,880.77[16] प्रति मीट्रिक टन पर औसत वार्षिक रॉयल्टी की राशि ₹ 21.66 करोड़[17] पर मुद्रांक शुल्क की राशि ₹ 5.69 करोड़[18] एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 4.06 करोड़[19] आरोपणीय थी। इस प्रकार, जि.ख.अ. द्वारा एल्युमीनियम के गलत मूल्य लिए जाने के फलस्वरूप मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की राशि ₹ 0.99 करोड़ (मु.शु. ₹ 0.58 करोड़ एवं पं.फी. ₹ 0.41 करोड़) का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर (अप्रैल 2018), जि.ख.अ. ने उत्तर दिया कि प्रकरण की जांच पश्चात कार्यवाही की जायेगी।

तथ्य उनके टिप्पणियों के लिए शासन/विभाग के ध्यान में लाया गया (फरवरी 2019)। उत्तर अप्राप्त है (अगस्त 2019)।

---

14 विक्रय मूल्य = 0.529 (Al_2O_3 में एल्यूमिनियम का अनुपात) x बाक्साईट में Al_2O_3 का प्रतिशत x लंदन मेटल एक्सचेंज (एल.एम.ई.) में एल्यूमिनियम का मूल्य (डॉलर में) x भारतीय रूपयों में डॉलर का विनियम दर

15 विक्रय मूल्य x खनिज की उत्पादित की जाने वाली मात्रा का औसत x रॉयल्टी की दर

16 विक्रय मूल्य = 0.529 x 0.4417 में $ 1901.57 x 65 प्रति $ = ₹ 28,880.77

17 औसत वार्षिक रॉयल्टी = ₹ 28,880.77 x 12,50,000 x 0.60 प्रतिशत = ₹ 21,66,05,775

18 ₹ 21.66 करोड़ x 5 गुणा x 5.25 प्रतिशत (0.25 प्रतिशत सेस के साथ) = ₹ 5.69 करोड़

19 ₹ 5.42 करोड़ का 75 प्रतिशत = ₹ 4.06 करोड़